लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4075

19 दिसम्बर, 2011 को उत्तर के लिए

विदेशी इस्पात परियोजनाओं में निवेश

4075 श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी:
श्रीमती श्रुति चौधरी:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विदेशी परियोजनाओं का देश-वार ब्यौरा क्या है जिनमें भारतीय इस्पात कंपनियों द्वारा निवेश किया गया है;

(ख) इन परियोजनाओं में भर्ती किए गए व्यक्तियों की संख्या का ब्यौरा क्या है तथा भविष्य में ऐसी परियोजनाओं से इन कंपनियों द्वारा रोजगार के कितने अवसर सृजित होने की संभावना है;

(ग) क्या कुछ भारतीय इस्पात कंपनियों को अफगानिस्तान के इस्पात संयंत्रों में निवेश हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उत्तर

इस्पात मंत्री श्री बेनी प्रसाद वर्मा

(क) और (ख): इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है। निजी इस्पात कंपनियां विदेशों में निवेश के संबंध में निर्णय आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार और अपने व्यावसायिक योजनाओं/आकांक्षाओं के अनुरूप लेती हैं। तथापि, इस्पात मंत्रालय इस संबंध में आंकड़े नहीं रखता है। जहां तक इस्पात मंत्रालय के नियंत्रणाधीन केन्द्रीय क्षेत्र के सार्वजनिक उद्यमों (सीपीएसई) का संबंध है इस प्रकार के निवेश अभी तक नहीं किए गए हैं।

(ग) और (घ): जी, हां। खान मंत्रालय, अफगानिस्तान इस्लामी गणराज्य द्वारा बामियान प्रांत में अनुमानित 1.77 बिलियन टन भंडार वाले हाजीगक आयरन ओर डिपॉजिट के विकास के लिए एक विश्वस्तरीय निविदा जारी की गई थी।

भारतीय कंपनियों यथा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल- प्रमुख सदस्य), एनएमडीसी लिमिटेड, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल), जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड (जेएसपीएल), जेएसडब्ल्यू, जेएसडब्ल्यू इस्पात और मोनेट इस्पात एंड एनर्जी के एक कंसोर्टियम ने अपनी बोली दिनांक 4.9.2011 को प्रस्तुत कर दी है।

सेल के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम द्वारा प्रस्तुत बोली में रेल, सड़क, विद्युत संयंत्र जैसी अवसंरचना का विकास होने और अफगानिस्तान सरकार द्वारा कोकिंग कोल लिंकेज प्रदान करने की शर्त पर एक स्टील संयंत्र की स्थापना करने और हाजीगक आयरन ओर डिपॉजिट का विकास किये जाने को प्रस्तावित किया गया है।

इस कंसोर्टियम को कुल 1288.75 एमटी लौह अयस्क भंडार की अनुमानित क्षमता वाले 3 ब्लॉक प्रदान किए गए हैं और आगे बातचीत शीघ्र ही की जानी है।

यह सीपीएसई और निजी क्षेत्र की संबंधित कंपनियों द्वारा अपने व्यावसायिक आकांक्षाओं और पारस्परिक हितों के आधार पर लिया गया एक वाणिज्यिक निर्णय है। इस्पात मंत्रालय इस प्रगति के विरूद्ध नहीं है।

****

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4120

19 दिसम्बर, 2011 को उत्तर के लिए

कोयले एवं चूना पत्थर की खरीद में अनियमितताएं

4120. श्री इन्दर सिंह नामधारी:
श्री अब्दुल रहमान:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झारखंड में भवंतपुर चूना पत्थर खानों के चूनापत्थर को काटने, उठाने, परिवहन करने तथा डब्बों में लादने के लिए भारतीय इस्पात प्राधिकरण के कच्चे माल प्रभाग द्वारा मंगायी गयी निविदा में अनियमितताएं हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र की इस्पात कंपनियों द्वारा कोकिंग कोल की खरीद में अनियमितता के मामलों की खबरें आई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ड.) क्या सरकार ने इन अनियमितताओं पर गौर करने के लिए किसी समिति का गठन किया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त समिति के लिए निर्धारित विचारार्थ विषय क्या हैं; और

(छ) उक्त समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

उत्तर

इस्पात मंत्री श्री बेनी प्रसाद वर्मा

(क) और (ख): स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के अधीन रॉ मैटेरियल डिविजन ने क्रमश: भावनाथपुर लाईमस्टोन खानों और तुलसीदार डोलोमाईट खानों पर मिश्रित खनन कार्य हेतु दिनांक 25.11.2010 एवं 26.11.2010 को दो निविदाएं जारी की। सेल ने सूचित किया है कि निविदाओं में बोलीदाताओं द्वारा कथित रूप से जाली दस्तावेज प्रस्तुत करने से संबंधित कुछ शिकायतें प्राप्त हुई। इन मामलो की जांच की गई और आरोपों को सही पाए जाने पर निविदा तुलसीदामर डोलोमाईट खानों के मामले में रद्द कर दी गई। चूंकि, दोनों निविदाओं में आयोग्य बोलीदाता एक ही थे इसलिए उचित प्रक्रिया के तहत केवल शेष योग्य पार्टी को ही बाद में भावनाथपुर खानों की निविदा प्रदान कर दी गई।

(ग): जी, नहीं।

(घ): प्रश्न नहीं उठता।

(ड.) से (छ): हाल ही में इस्पात मंत्रालय में एक समिति का गठन किया गया है जिसके विचारार्थ विषय कोकिंग कोल अधिप्राप्ति प्रक्रिया को युक्तिसंगत बनाने की आवश्यकता, विदेशों में कोकिंग कोल की खानों का अधिग्रहण करने और इस्पात क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा कोकिंग कोल के उपयोग को अधिकतम बनाए जाने इत्यादि मामलों को देखना है। जनवरी, 2012 तक इस समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है।

****